A 72

अवमानना - 16/23 — कान्ता बनाम हनुमान

27/3/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर प्राप्त हो चुकी है। प्रपत्र डी राजस्व होकर अपीलार्थी तामील कराये बिना नोटिस वापसी वास्ते तलबी पड़ोड़े 5/4/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

5/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी पड़ोड़ा 10/4/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

10/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रपत्र वाद राजीनामा रजिस्टर्ड करते हुए लोक अदालत की कार्यवाही के प्रकरण का निस्तारण करने पेश किया। अप्रार्थी अपीलीय इपाप अपने हलाहा ओरिजिनल पर मौजूद मिले गये। जिनकी पहचान वकील वादिया इपाप की गई। जब स्वयं वादिया/अपीलीय प्रार्थी अवमानना को आगे नहीं चलाना चाहती है तो प्रार्थी अवमानना को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलीय आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलीय प्रपत्र का प्रपत्र निस्तारण की दृष्टि से स्वीकार करते हुए प्रपत्र अवमानना की निस्तारण के साथ किया जाता है। पत्रावली अवमानना की निस्तारण के साथ किया जाता है। पत्रावली अवमानना की निस्तारण के साथ किया जाता है। पत्रावली